आदेश

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग हेतु की गई घोषणा के क्रियान्वयन के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–121/XXXV–4/16–8(18)/15, दिनांक 12 अगस्त, 2016 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को रू0 10.52 लाख (रू0 दस लाख बावन हजार मात्र) का धनावंटन हुआ है। उक्त आवंटित धनराशि को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2016 के द्वारा घोषणा संख्या–1933/2015 (विधान सभा अल्मोड़ा में अल्मोड़ा दुग्ध संघ फैक्ट्री को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत हेतु दैवीय आपदा मद से रू0 13.00 लाख (तेरह लाख मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उनके निर्वतन में रखकर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

आवंटित धनराशि को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा :–

1– सर्वप्रथम उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग व कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर अवलोकित करवाया जायेगा।

2– सम्बन्धित विभाग योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का वित्तीय नियमों के अधीन लेखाकंन (Cash Booking आदि) इस कार्यालय के अतिरिक्त पृथक से अपने स्तर पर भी रखेगें।

3– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा/कार्यदायी संस्था योजना की प्रगति आख्या अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को माह की प्रथम तिथि को उपलब्ध करायेंगे। ताकि योजनाओं की प्रगति आख्या मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय घोषणा अनुभाग, देहरादून को उपलब्ध करायी जा सकें।

4– योजनान्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार सत्यापित करतें हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखतें हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का प्रयोग उपयोग में लाई जाए।

9– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

10– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं सशोंधित 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– शासनादेश संख्या–571/XXVII(I)/2010 दिनांक 19.10.2010 के दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत हैं तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाय।

13– कार्य की प्रगति की निरन्तर एवं गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

14– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

15– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(I)/2015, दिनांक 01 अप्रैल 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

18– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य कराया जाए।

19– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें।

20– कार्यो की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/सम्बन्धित निर्माण ऐजेंसी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

21– उपरोक्त स्वीकृत कार्यो में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

22– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्तें भी रखी जायेगी।

23– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को शासन को तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा।

24– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्वीकृति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

25– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

26– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

27– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

28– निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमित्ता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

29– कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और इस लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टैण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय।

30– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात योजनाओं की फोटो ली जायेगी।

31– कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा गुणवत्ता/कार्य पूर्ण/संतोषजनक होने के प्रमाणीकरण के उपरान्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को कुल स्वीकृत धनराशि का अन्तिम भुगतान (25 प्रतिशत) किया जायेगा। कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित मद तथा स्वीकृत धनराशि सीमेन्ट कांक्रीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

32– स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। एतद सम्बन्धी सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे व जिला कार्यालय के सी0डी0सी0 अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों की सम्परीक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।

33– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201 समेकित निधि से विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–03 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–800–अन्य व्यय–02–माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–8042/पन्द्रह–17L/2015–16, दिनांकः 31 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
9. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोडा।
10. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
12. निदेशक, आपदा प्रबन्धन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
13. कार्यालय प्रति।

(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।